



इकाई- 4

Unit - 4

सामाजिक न्याय और
हाशिये की आवाजें

Social Justice and the
Marginalised

अध्याय- 6

हाशियाकरण से निपटना

Confronting Marginalisation

CLASS

VIIIth

(Polity)

NCERT

Based



By : Karan Sir

इकाई - 4

अध्याय- 6

हाशियाकरण से निपटना

Marginalia

का. पु. 1




हाशियाकरण से निपटना

★
विस्थापन
Displacement

Marginalised

मौलिक अधिकारों का उपयोग



FR 12-35

14-19

Equality - समानता

14 ⇒ विधि Equality before Law

15, धर्म, जाति, लिंग भेदभाव रहें

16 - Public Employment

17 - आयुधन राज

18

संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है।

Article 17 of the Constitution states that untouchability has been abolished – what this means is that no one can henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities etc. It also means that it is wrong to practise untouchability and that this practice will not be tolerated by a democratic government. In fact, untouchability is a punishable crime now.

आचरण

संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो असम्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा (इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफी कुछ पढ़ चुके हैं)। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं।

There are other sections in the Constitution that help to strengthen the argument against untouchability – for example, Article 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth (you learnt a lot about this in your Class VII textbook in the chapter On Equality). This has been used by Dalits to seek equality where it has been denied to them.

इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार-बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे।

32
926

Therefore, Dalits can 'invoke' or 'draw on' a Fundamental Right (or Rights) in situations where they feel that they have been treated badly by some individual or community, or even by the government. They have drawn the attention of the government of India to the Constitution, demanding that the government abide by it and do justice to them.


32 → SC
926 → HC
SC 157 - Aparichh
1989

इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक-धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वह नष्ट हो।


Majority
Minority

Likewise, other minority groups have drawn on the Fundamental Rights section of our Constitution. They have particularly drawn upon the right to freedom of religion and cultural and educational rights. In the case of cultural and educational rights, distinct cultural and religious groups like the Muslims and Parsis have the right to be the guardians of the content of their culture, as well as the right to make decisions on how best this content is to be preserved. Thus, by granting different forms of cultural rights, the Constitution tries to ensure cultural justice to such groups. The Constitution does this so that the culture of these groups is not dominated nor wiped out by the culture of the majority community.

17



99




हाशियाई तबकों के लिए कानून

जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है। लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्यवाही नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियाँ या योजनाएँ किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

संविधान
का

Laws for the Marginalised

As you have read, the government makes laws to protect its citizens. Yet, this is not the only way in which it takes action. There are specific laws and policies for the marginalised in our country. There are policies or schemes that emerge through other means like setting up a committee or by undertaking a survey etc. The government then makes an effort to promote such policies in order to give opportunities to specific groups.



कारण
Law

SC/ST 1989

राष्ट्रपति
योजनाएं
planning

संविधान

समा Assembly

Parliament
संसद

FR

margin
है।

यह कविता महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवयित्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है। वह चौदहवीं शताब्दी के जाने-माने भक्त कवि चोखामेला की पत्नी थीं। सोयराबाई महार जाति की थीं। उस समय यह जाति अछूत मानी जाती थी।

काया है दूषित
कहना है उनका
और केवल आत्मा है बेदाग
लेकिन दूषित काया
पैदा होती है काया के भीतर ही

है अनुष्ठान वह कौन-सा
होती है जिससे शुद्ध काया?

ऐसा कोई जीव नहीं
पैदा हुआ जो न
खून-सनी कोख से
यही है उस ईश्वर की महिमा

इसलिए दूषण है भीतर
दूषित है काया भीतर से
इसमें कोई भ्रम न रखना
महारी चोखा का है यह कहना।

स्रोत- उमा चक्रवर्ती, जेंडरिंग कास्ट : थ्रू ए
फेमिनिस्ट लेंस, स्त्री, 2003, पृष्ठ 99.

इस कविता में सोयराबाई शुद्धता की सोच पर उँगली उठाते हुए दलील दे रही हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है। इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो एक की देह को ज़्यादा और दूसरे की देह को कम शुद्ध बना सकती हो। संभवतः वे यह भी कहना चाहती हैं कि जाति व्यवस्था में लोगों को विभिन्न स्थानों, कार्यों, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखने या लोगों को एक-दूसरे से अलग रखने वाला छुआछूत का भाव काम के स्वरूप से पैदा नहीं होता। बल्कि यह हमारे 'भीतर से' – हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी मूल्य-मान्यताओं से पैदा होता है।

The poem below is written by Soyrabai, the wife of the well-known Bhakti poet Chokhamela from fourteenth century Maharashtra. They belonged to the Mahar caste, which was at that time considered untouchable.

*A body is unclean, they say
Only the soul is untainted
But the impurity of the body
Is born within the body
...By which ritual does the body
become pure?
Not a creature has been born
except in a bloody womb.
This is the glory of God,
Defilement exists within.
The body is polluted from within,
Be sure of it says the Mahari
Chokha*

Quoted in Uma Chakravarti, *Gendering Caste: Through a Feminist Lens*, Stree, 2003, p. 99

Soyrabai is questioning the idea of purity and arguing that since every human is born in the same manner, there is nothing that makes one body less or more pure than the other. She is possibly also trying to say that pollution, a key tool of the caste system to separate or deny people access to spaces, work, knowledge and dignity, occurs not through the nature of work done, but 'from within'- from your thoughts, values and beliefs.

सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन

संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएँ लागू करती हैं। उदाहरण के लिए, कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएँ हासिल कर सकें जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हों।

α α
α

Promoting Social Justice

As part of their effort to implement the Constitution, both state and central governments create specific schemes for implementation in tribal areas or in areas that have a high Dalit population. For example, the government provides for free or subsidised hostels for students of Dalit and Adivasi communities so that they can avail of education facilities that may not be available in their localities.

न्याय Justice

→ सामाजिक Social ✓✓

→ राजनीति Political

→ आर्थिक Economical

सोवियत संघ की
क्रांति
1917

सूक्ष्म
विभाजन

Deserve
अधिकार

व्यक्ति को प्राप्त


Political

कुछ जरूरी सुविधाएँ मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने-लिखने और नयी निपुणताएँ हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

Man Stream
आरक्षण

In addition to providing certain facilities, the government also operates through laws to ensure that concrete steps are taken to end inequity in the system. One such law/policy is the reservation policy that today is both significant and highly contentious. The laws which reserve seats in education and government employment for Dalits and Adivasis are based on an important argument- that in a society like ours, where for centuries sections of the population have been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills or vocations, a democratic government needs to step in and assist these sections.

लोक




unequal = Equal

Search

बेसमान = समान

आरक्षण

Equal = Equal = 1st



आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है? देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों (या दलितों), अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों की अपनी-अपनी सूचियाँ हैं। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाणपत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है।

How does the reservation policy work? Governments across India have their own list of Scheduled Castes (or Dalits), Scheduled Tribes and backward and most backward castes. The central government too has its list. Students applying to educational institutions and those applying for posts in government are expected to furnish proof of their caste or tribe status, in the form of caste and tribe certificates. (Many government and educational institutions also ask for candidates to mention their caste/tribe status.) If a particular Dalit caste or a certain tribe is on the government list, then a candidate from that caste or tribe can avail of the benefit of reservation.

Mah

Reservation



केंद्र सूची Central

भारत सरकार
केन्द्र

State OBC

राज्य सूची

OBC ✓

SC

ST

OBC - 27-1
 SC 15-1
 T 7-5-1
 EWS

EWS

UPSC
 DELN
 SSC
 MDA
 CD
 CPA

DR

कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने 'कट-ऑफ' या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। नवीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में और विस्तार से जानेंगे।

For admission to colleges, especially to institutes of professional education, such as medical colleges, governments define a set of 'cut-off' marks. This means that not all Dalit and tribal candidates can qualify for admission, but only those who have done reasonably well and secured marks above the cut-off point. Governments also offer special scholarships for these students. In your Class IX Political Science textbook, you will read more on reservations for the backward classes.

① OBC → 27% ✓
 SC = 15% ✓
 ST - 7.5% ✓
 EWS - 10% ✓
 Gen ✓

Central Govt.

OBC
 SC
 ST

117

आपकी राय में दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका एक कारण बताइए।

State one reason why you think reservations play an important role in providing social justice to Dalits and Adivasis.

योजनाओं की सूची	यह योजना किस बारे में है?	आपकी राय में इससे सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा मिलेगा?
विद्यार्थियों के लिए वजीफ़े की व्यवस्था		
विशेष थानों का गठन		
सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष योजनाएँ		

List of schemes	What is this scheme about?	How do you think it will help promote social justice?
Scholarships for students		
Special police stations		
Special schemes for girls in government schools		

दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा

हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जानें कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं।

Protecting the Rights of Dalits and Adivasis

In addition to policies our country also has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalised communities. Let us read the following case-study, adapted from a real-life account, to understand how Dalits use the protection that laws provide.

जकमालगुर गाँव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ हर पाँच साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। पाँच दिन चलने वाले इस उत्सव में आस-पास के 20 गाँवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। जकमालगुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया।

The villagers of Jakmalgur are gearing up for a big festival. Once in five years, the local deity is honoured and priests from 20 neighbouring villages come for this five-day event. The ceremony begins with a member of the Dalit community washing the feet of all the priests and then bathing in the water used for this. In Jakmalgur, the person who performed this task belonged to Rathnam's family. His father and grandfather had both performed the same task before him. Though they were never allowed to enter the temple, this ritual was viewed as a great honour bestowed on them on this special occasion. Now it was Rathnam's turn. Rathnam was all of 20 years, studying engineering in a nearby college. He refused to perform the ritual.

उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गाँव की ताकतवर जातियाँ, बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफ़ा थे। ऊँची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई-लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा है।

He said that he had no faith in this practice and that his family members were forced to perform this ritual because they were Dalits. Rathnam's refusal angered both the powerful castes in the village and some families from his own community. The powerful castes were shocked that such a young boy had the guts to refuse. They believed that it was Rathnam's education which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them.

रत्नम की जाति के लोग भी ऊँची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत-खलिहानों में दिहाड़ी मज़दूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियाँ उन्हें काम देना बंद कर दें तो वे क्या खाएँगे? जिंदगी कैसे चलेगी? ऊँची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूँकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता।

Those from Rathnam's own caste were fearful of angering the powerful. Many worked on their fields as daily-wage labourers. If the dominant castes decided to not call them, then what would they earn? How would they survive? They also declared that the wrath of the local deity would strike them if they refused to give in. Rathnam argued that given that not a single Dalit had ever entered the temple, how could the deity be angry with them?



भाषा की अपनी पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर पंद्रहवीं सदी के कवि थे। पेशे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परमसत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और

पंडे-पुजारियों के चंगुल से आजाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार-बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को साँचे में कैद कर देते हैं। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। वे एक साधारण कुम्हार, बुनकर और घड़े

में पानी लाती औरत, सबके श्रम का सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष, साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित, हाशियाई समूह और सामाजिक ऊँच-नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं।



You may have read Kabir's poems in your language textbooks. Kabir was a fifteenth century poet and weaver who also belonged to the Bhakti tradition. Kabir's poetry spoke about his love for the supreme being free of ritual and priests. It also expresses his sharp and pointed criticism of those he saw as powerful. Kabir attacked those who attempted to define

individuals on the basis of their religious and caste identities. In his view every person had the ability to reach the highest level of spiritual salvation and deep knowledge within themselves through their own experience. His poetry brings out the powerful idea of the equality of all human beings and their labour. He writes about valuing the work of the ordinary potter, the weaver and the woman carrying the water pot – labour that in his poetry

becomes the basis of understanding the entire universe. His direct, courageous challenge inspired many and even today Kabir's poetry is sung and appreciated by Dalits, marginalised groups and those critical of social hierarchies in U.P., Rajasthan, Punjab, Madhya Pradesh, Bengal, Bihar and Gujarat.

ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोंपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुँह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गाँव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गाँव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गाँव की ऊँची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया।

The powerful castes decided to teach Rathnam a lesson. His community was ordered to ostracise him and his family, and everyone was told that no one should speak or do any work for them or with them. One night some men entered their part of the village and set his hut on fire. He managed to escape with his mother. Rathnam, then went to file a case in the local police station under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. Other Dalit families still did not come out in his support as they were scared that a similar fate might await them if they spoke out. The case was picked up by the local media that led to many journalists visiting the village. Rathnam was written about as a symbol of Dalit action. The ritual was called off, but his family was forced to move out as they continued to be ostracised by the powerful castes in the village.

क्या आपको ऐसा लगता है कि रत्नम को परंपरागत रस्म निभाने के लिए जिस तरह मजबूर किया जा रहा था, वह उसके मौलिक अधिकारों का हनन था?

आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जातियों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे?

In your opinion does the force put on Rathnam to perform this ritual violate his Fundamental Rights?

Why do you think the Dalit families were afraid of angering the powerful castes?

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

रत्नम ने अपने गाँव में ऊँची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया।

यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की माँगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोज़मर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। यों तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन सत्तर के दशक के आखिर और अस्सी के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान

The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 SC/ST Act

Rathnam sought the support of law, filing his complaint under the above Act to protest against the domination and violence of the powerful castes in his village.

This Act was framed in 1989 in response to demands made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in an everyday sense. While such treatment had persisted for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970s and 1980s. During this period, in parts of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights – they refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally; like

दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाले परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से ऊँची जातियों के लोग उनके साथ खुले आम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का अहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान किया जाए।

Rathnam they refused to follow practices located in the humiliation and exploitation of Dalits. This resulted in the more powerful castes unleashing violence against them. In order to indicate to the government that untouchability was still being practised and in the most hideous manner, Dalit groups demanded new laws that would list the various sorts of violence against dalits and prescribe stringent punishment for those who indulge in them.

इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि अपनी ज़मीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई।

Likewise, throughout the 1970s and 1980s Adivasi people successfully organised themselves and demanded equal rights and for their land and resources to be returned to them. They too had to face the anger of powerful social groups and were subject to a great deal of violence.

पंडित देखहु मन में जानी।
 कहु धौं छूति कहाँ से उपजी, तबहिं छूति तुम मानी॥
 ...
 एकहि पाट सकल बैठाए, छूति लेत धौं काकी।
 छूतिहि जेवन छूतिहि अँचवन, छूतिहि जग उपजाया।
 कहैं कबीर ते छूति विवरजित, जाके संग न माया।

संदर्भ- इस पद में कबीर ने बताया है कि प्राणी की तीन स्थितियाँ होती हैं- जन्म, जीवन और मरण। तीनों स्थितियों में सभी प्राणी एक समान रहते हैं और तीनों के मूल में गंदगी है। फिर छुआछूत का भेद-भाव कैसा?

व्याख्या- कबीर कहते हैं कि हे पंडित! मन में भली प्रकार से विचार करके देखो। भला बताओ कि छूत क्या है और कहाँ से उत्पन्न हो गई? तुमने बिना सोचे-समझे छूत नामक एक भावना बना ली है। ...

प्रभु ने एक ही पृथ्वी रूपी पीढ़े पर सभी को समान रूप से बिठा दिया है। फिर तुम किसको छूत कहोगे और किसे अछूत? अन्न और जल जिसका भोजन और पान किया जाता है, गंदगी से संयुक्त है... इसी छूत से सभी उत्पन्न हैं, फिर उनसे कौन बचा है? अतः छुआछूत का भेदभाव निरर्थक है। कबीर कहते हैं कि वास्तव में छूत से वही लोग परे हैं, जिन पर माया का प्रभाव नहीं है।

स्रोत- (सं.) जयदेव सिंह एवं वासुदेव सिंह, सबद (कबीर वाङ्मय : खंड 2), विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1998, पृष्ठ 207-208.

कबीर अछूत शब्द को यहाँ एक नया अर्थ देते हैं। उनका दावा है कि अस्पृश्यता ही ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है- इसका मतलब है कि वह व्यक्ति संकुचित और विभाजक विचारों से पूरी तरह मुक्त है। लिहाजा कबीर अस्पृश्यता की सोच को सिर के बल खड़ा करके 'अछूतों' को सबसे निचली अवस्था की बजाय सबसे ऊँची अवस्था में स्थापित कर देते हैं।

*Pandit, Look in your heart for
knowledge*

Tell me where untouchability

Came from, since you believe in it.

Mix red juice, white juice and air

A body bakes in a body ...

We eat by touching, we wash

by touching, from a touch

the world was born.

So who's untouched, asks Kabir?

Only she

Who is free from delusion

In this poem, Kabir is challenging the priest by directly questioning at him about where untouchability came from. He asks the priest to look for knowledge in his heart and not in the scriptures. Kabir goes on to describe how every human body is made of blood and air and has spent nine months in the mother's womb. And that everything in the world is created by touching something whether it be a pot, a human being or a painting.

He takes the word untouchable and gives it a very different meaning. He claims that untouchability is the highest state of knowledge: it means not be touched by narrow limiting ideas. Therefore, Kabir finally turns the idea of untouchability on its head- from the lowest to the highest state that a human being can achieve!

यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोच कर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं।

This is why this Act contains a very long list of crimes, some of which are too horrible even to contemplate. The Act does not only describe terrible crimes, but also lets people know what dreadful deeds human beings are capable of. In this sense, laws such as these seek to both punish as well as influence the way we think and act.

इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फ़र्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से ख़ौफ़नाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना है जो (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं; (iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है....।

The Act distinguishes several levels of crimes. Firstly, it lists *modes of humiliation* that are both physically horrific and *morally reprehensible* and seeks to punish those who (i) force a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance; ... (iii) forcibly removes clothes from the person of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or parades him or her naked or with painted face or body or commits any similar act which is derogatory to human dignity...

दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके ज़रिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आर्बिट्ररी की गई या उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्ज़ा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सज़ा दी जाएगी।

Secondly, it lists *actions that dispossess Dalits and Adivasis* of their meagre resources or which force them into performing slave labour. Thus, the Act sets out to punish anyone who (iv) wrongfully occupies or cultivates any land owned by, or allotted to, ... a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or gets the land allotted to him transferred;

एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जो (xi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करते हैं....।

क्या आप 1989 के कानून के दो प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं?

शब्द संकलन को देखें और अपने शब्दों में लिखें कि 'नैतिक रूप से निंदनीय' पद का आप क्या मतलब समझते हैं?

At another level, the Act recognizes that *crimes against Dalit and tribal women* are of a specific kind and, therefore, seeks to penalise anyone who (xi) assaults or uses force on any woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe with intent to dishonour her ...

Can you list two different provisions in the 1989 Act?

Look up the glossary and write in your own words what you understand by the term 'morally reprehensible'.



हाथ से मैला उठाती एक सफ़ाई मज़दूर



A manual scavenger at work



सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन के कार्यकर्ता एक सूखे शौचालय को गिरा रहे हैं।



Members of the Safai Karamchari Andolan demolishing a dry latrine.

हाथ से मैला उठाने का कलंक

बहुत सारे लोग झाड़ू, टिन और टोकरियों के सहारे पशुओं/इंसानों के मल-मूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले (सूखे) शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंककर आते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। यह काम आमतौर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग एक लाख लोग यह काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफ़ाई करते हैं।

The Scourge of Manual Scavenging

Manual scavenging refers to the practice of removing human and animal waste/excreta using brooms, tin plates and baskets from dry latrines and carrying it on the head to disposal grounds some distance away. A manual scavenger is the person who does the job of carrying this filth. This job is mainly done by Dalit women and young girls. According to the Andhra Pradesh-based Safai Karamchari Andolan, an organisation working with manual scavengers, there are one lakh persons from Dalit communities who continue to be employed in this job in this country and who work in 26 lakh private and community dry latrines managed by municipalities.

सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आँखों, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है। नगरपालिकाओं में काम करने वालों को रोज़ाना ₹200 मिलते हैं जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है।

Manual scavengers are exposed to subhuman conditions of work and face serious health hazards. They are constantly exposed to infections that affect their eyes, skin, respiratory and gastro-intestinal systems. They get very low wages for the work they perform. Those working in urban municipalities earn ₹ 200 per day and those working privately are paid much less.

जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है। फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिक्कलयार इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गाँव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास फटकने भी नहीं दिया जाता है।

As you have read earlier in this book, the practice of untouchability has been abolished by the Indian Constitution. However, manual scavengers in different parts of the country, the Bhangis in Gujarat, Pakhis in Andhra Pradesh and the Sikkaliars in Tamil Nadu, continue to be considered untouchable. They often live in separate settlements on the outskirts of the village and are denied access to the temple, public water facilities etc.

1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ़ मैनुअल स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ़ ड्राई लैट्रीन्स (प्रॉहिबिशन) एक्ट, 1993 पारित किया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों (जिनमें 7 मैला ढोने वाले थे) ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने

In 1993, the government passed the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act. This law prohibits the employment of manual scavengers as well as the construction of dry latrines. In 2003, the Safai Karamchari Andolan and 13 other organisations and individuals, including seven scavengers, filed a PIL in the Supreme Court. The petitioners complained that manual scavenging still existed and it continued in government undertakings like the railways. The petitioners sought

का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग/मंत्रालय को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएँ। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है।

enforcement of their Fundamental Rights. The court observed that the number of manual scavengers in India had increased since the 1993 law. It directed every department/ministry of the union government and state governments to verify the facts within six months. If manual scavenging was found to exist, then the government department has to actively take up a time-bound programme for their liberation and rehabilitation. The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act came into force on 6 December 2013.

सिर पर मैला उठाने का आप क्या अर्थ समझते हैं?

पृष्ठ 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों की सूची को दोबारा पढ़ें और ऐसे दो अधिकारों का उल्लेख करें जिनका इस प्रथा के ज़रिए उल्लंघन हो रहा है।

सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की? अपनी याचिका में उन्होंने किस बात पर आपत्ति व्यक्त की थी?

2005 में इस याचिका पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया?

What do you understand by manual scavenging?

Re-read the list of Fundamental Rights provided on page 14 and list two rights that this practice violates?

Why did the Safai Karamchari Andolan file a PIL in 2003? What did they complain about in their petition?

What did the Supreme Court do on hearing their case in 2005?



केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 पारित किया है। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून ज़मीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आस-पास ज़मीन, खेती और चराई योग्य ज़मीन और गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैवविविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है।

The central government passed the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. The introduction to the final Act states that this Act is meant to undo the historical injustices meted out to forest dwelling populations in not recognising their rights to land and resources. This Act recognises their right to homestead, cultivable and grazing land and to non-timber forest produce. The Act also points out that the rights of forest dwellers includes conservation of forests and bio-diversity.

आदिवासियों की माँगें और 1989 का अधिनियम

1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्त्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपनी ज़मीन छोड़ने और ज़बरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए।

Adivasi Demands and the 1989 Act

The 1989 Act is important for another reason – Adivasi activists refer to it to defend their right to occupy land that was traditionally theirs. As you read in the previous chapter Adivasis are often unwilling to move from their land and are forcibly displaced. Activists have asked that those who have forcibly encroached upon tribal lands should be punished under this law. They have also pointed to the fact that this Act merely confirms what has already been promised to tribal people in the Constitution – that land belonging to tribal people cannot be sold to or bought by non-tribal people. In cases where this has happened, the Constitution guarantees the right of tribal people to re-possess their land.

आदिवासी

~~05~~ ~~00/5~~

SC
ST

SC ✓
ST ✓

1989

Ans

आदिवासी कार्यकर्ता सी.के. जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर-आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती हैं। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएँ बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सकें और काम कर सकें। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है।

C.K. Janu, an Adivasi activist, has also pointed out that one of the violators of Constitutional rights guaranteed to tribal people are governments in the various states of India – for it is they who allow non-tribal encroachers in the form of timber merchants, paper mills etc, to exploit tribal land, and to forcibly evict tribal people from their traditional forests in the process of declaring forests as reserved or as sanctuaries. She has also noted that in cases where tribals have already been evicted and cannot go back to their lands, they must be compensated. That is, the government must draw up plans and policies for them to live and work elsewhere. After all, governments spend large sums of money on building industrial or other projects on lands taken from tribals – so why should they be reluctant to spend even very modest amounts on rehabilitating the displaced?

निष्कर्ष

किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज़ पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती हैं। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नयी बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार, लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाज़ी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएँ जारी रहनी चाहिए।

Conclusion

As we can see, the existence of a right or a law or even a policy on paper does not mean that it exists in reality. People have had to constantly work on or make efforts to translate these into principles that guide the actions of their fellow citizens or even their leaders. The desire for equality, dignity and respect is not new. It has existed in different forms throughout our history as you have seen in this chapter. Similarly, even in a democratic society, similar processes of struggle, writing, negotiation and organising need to continue.

Marginalised

हॉर्सिये पर है





yes - ST
SC
OBC
दलित
आदिवासी

संविधान
F.R
कारा SC/ST
सामाजिक न्याय
आरक्षण
Reserve

समाप्त समाप्त

Fig 9



अभ्यास

1. दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए पृष्ठ 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों को दोबारा पढ़िए।
2. रत्नम की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए। अब एक कारण बताइए कि रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायत क्यों दर्ज कराई।
3. सी.के. जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है?
4. इस इकाई में दी गई कविताएँ और गीत इस बात का उदाहरण हैं कि विभिन्न व्यक्ति और समुदाय अपनी सोच, अपने गुस्से और अपने दुखों को किस-किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अपनी कक्षा में ये दो कार्य कीजिए-
 - (क) एक ऐसी कविता खोजिए जिसमें किसी सामाजिक मुद्दे की चर्चा की गई है। उसे अपने सहपाठियों के सामने पेश कीजिए। दो या अधिक कविताएँ लेकर छोटे-छोटे समूहों में बँट जाइए और उन कविताओं पर चर्चा कीजिए। देखें कि कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है।
 - (ख) अपने इलाके में किसी एक हाशियाई समुदाय का पता लगाइए। मान लीजिए कि आप उस समुदाय के सदस्य हैं। अब इस समुदाय के सदस्य की हैसियत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई कविता या गीत लिखिए या पोस्टर आदि बनाइए।

Exercises

1. List two Fundamental Rights in the Constitution that Dalits can draw upon to insist that they be treated with dignity and as equals. Re-read the Fundamental Rights listed on page 14 to help you answer this question.
2. Re-read the story on Rathnam as well as the provisions of the 1989 Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. Now list one reason why you think he used this law to file a complaint.
3. Why do Adivasi activists, including C.K. Janu, believe that Adivasis can also use this 1989 Act to fight against dispossession? Is there anything specific in the provisions of the Act that allows her to believe this?
4. The poems and the song in this Unit allow you to see the range of ways in which individuals and communities express their opinions, their anger and their sorrow. In class, do the following two exercises:
 - (a) Bring to class a poem that discusses a social issue. Share this with your classmates. Work in small groups with two or more poems to discuss their meaning as well as what the poet is trying to communicate.
 - (b) Identify a marginalised community in your locality. Write a poem, or song, or draw a poster etc to express your feelings as a member of this community.



आग्रही- जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहा जाता है।

बहिष्कार- इसका मतलब किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है। इस अध्याय में यह शब्द व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार के विषय में आया है।

नैतिक रूप से निंदनीय- ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे-कानूनों के खिलाफ़ होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ़ होते हैं।

नीति- एक घोषित कार्यदिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों व दिशानिर्देशों की व्याख्या करती है। इस अध्याय में हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थाओं की भी अपनी नीतियाँ होती हैं।



Assertive: An assertive person or group is one that can express themselves and their views strongly.

Confront: To come face to face or to challenge someone or something. In the context of this chapter, this refers to groups challenging their marginalisation.

Dispossessed: To possess is to own something and to be dispossessed is to have to give up ownership or to give up authority.

Ostracise: This means to exclude or banish an individual or a group. In the context of this chapter, it refers to a social boycott of an individual and his family.

Morally reprehensible: This refers to an act that violates all norms of decency and dignity that a society believes in. It usually refers to a hideous and repugnant act that goes against all the values that a society has accepted.

Policy: A stated course of action that provides direction for the future, sets goals to be achieved or lays out principles or guidelines to be followed and acted upon. In this chapter, we have referred to government policies. But other institutions like schools, companies, etc. also have policies.

धन्यवाद